

ध्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 80/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/123

प्राथीगण	बनाम	विप्राथीगण
1. मांगीलाल पुत्र जोगाराम		1. चूंकी देवी पत्नी हुकमाराम
2. भैराराम पुत्र जोगाराम		जाति प्रजापत निवासी आईनाथ नगर
3. नारायणराम पुत्र जोगाराम		चिलानाड़ी तहसील पचपदरा
जाति प्रजापत		2. हड़गानराम पुत्र हुकमाराम
निवासी चीलानाड़ी		जाति प्रजापत नाबालिग
तहसील पचपदरा		जरिए कुदरती वली माता चूंकी देवी
वर्तमान तहसील पाटोदी		3. रतनाराम पुत्र मालाराम
व जिला बालोतरा		4. केवलराम पुत्र नाथाराम
		5. चूनाराम पुत्र नाथाराम
		6. चैनाराम पुत्र नाथाराम
		7. माधाराम पुत्र नाथाराम
		8. रेशी पत्नी नाथाराम
		9. खुशालाराम पुत्र नगाराम
		10. घेवरराम पुत्र नगाराम
		11. गोरखाराम पुत्र नगाराम
		12. वस्ताराम पुत्र वरधाराम
		जाति प्रजापत निवासी चिलानाड़ी
		तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
		13. सोनाराम पुत्र वरधाराम के कायम
		मुकाम:-
		13/1. लूणी बैवा सोनाराम
		13/2. खेताराम पुत्र सोनाराम
		13/3. मगाराम पुत्र सोनाराम
		13/4. इसाराम पुत्र सोनाराम
		जाति प्रजापत निवासी खूमनियों की
		ढाणी चिलानाड़ी तहसील पचपदरा जिला
		बालोतरा
		13/5. चौथी पुत्री सोना पत्नी ताराराम
		जाति प्रजापत निवासी धुरानिया की




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

ढाणी चिलानाड़ी तहसील पचपदरा जिला
बालोतरा

13/6.तीला पुत्री सोनाराम पत्नी
राजूराम जाति प्रजापत निवासी मिठी बेरी
बालेसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर

13/7.टपली पुत्री सोनाराम पत्नी
धर्माराम प्रजापत निवासी दुगटो की
ढाणी चिलानाड़ी तहसील पचपदरा

14.जेठी देवी पत्नी वरघाराम

15.जबराराम पुत्र वगताराम

16.मूलाराम पुत्र वगताराम

17.वागाराम पुत्र वगताराम

18.जवारों पत्नी वगताराम

19.जेठाराम पुत्र चुतराराम

20.देवाराम पुत्र चुतराराम

21.रुखमोंदेवी पत्नी चुतराराम

22.दीपाराम पुत्र तिलाराम

23.वीराराम पुत्र तिलाराम

24.शंकरराम पुत्र तिलाराम नाबालिग
जरिए संरक्षक माता सोमतीदेवी पत्नी
तिलाराम

25.सोमती देवी पत्नी तिलाराम

26.बाबुलाल पुत्र भूराराम

27.ओमाराम पुत्र नरसिंगाराम

28.पप्पाराम पुत्र नरसिंगाराम

29.भगाराम पुत्र नरसिंगाराम

30.रमकुदेवी पत्नी नरसिंगाराम

31.देवाराम पुत्र सुजाराम

32.विशनाराम पुत्र सुजाराम

33.सुखाराम पुत्र सुजाराम

34.हिम्मताराम पुत्र मिण्डाराम

35.खीमाराम पुत्र उमाराम

36.इसाराम पुत्र जेठाराम

37.नैनु पत्नी जेठाराम



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

38. चूकी देवी पत्नी बाबुलाल
 39. जीवाराम पुत्र बाबुलाल
 40. पारसमल पुत्र बाबुलाल
 41. मनोहरलाल पुत्र बाबुलाल नाबालिग
 जरिए कुदरतीयली माता चूकी देवी पत्नी
 बाबुलाल
 42. रामलाल पुत्र बाबुलाल जाति प्रजापत
 निवासी चिलानाड़ी तहसील पचपदरा
 जिला बालोतरा
 43. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
 पचपदरा वर्तमान तहसीलदार पाटोदी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थीगण

विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 10/12/2022



1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि ग्राम चिलानाड़ी पटवार हल्का चिलानाड़ी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 4372/2814 क्षेत्रफल 0.5018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4467/2782 क्षेत्रफल 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4471/2782 क्षेत्रफल 1.3921 हैक्टेयर भूमि व प्रार्थी संख्या 02 भैराराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या 4462/2782 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर 4464/2782 क्षेत्रफल 0.2337 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4466/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4468/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि व प्रार्थी संख्या 03 नारायणराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4461/2782 क्षेत्रफल 0.9712 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4465/2782 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4470/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम चिलानाड़ी पटवार हल्का चिलानाड़ी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 4372/2814 क्षेत्रफल 0.5018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4467/2782 क्षेत्रफल 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4471/2782 क्षेत्रफल 1.3921 हैक्टेयर भूमि व प्रार्थी संख्या 02 भैराराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या 4462/2782 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
 (S.D.O.) बालोतरा

4464/2782 क्षेत्रफल 0.2337 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4466/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4468/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि व प्रार्थी संख्या 03 नारायणराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4461/2782 क्षेत्रफल 0.9712 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4465/2782 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4470/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रार्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तागील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम चिलानाड़ी पटवार हल्का चिलानाड़ी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 4372/2814 क्षेत्रफल 0.5018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4467/2782 क्षेत्रफल 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4471/2782 क्षेत्रफल 1.3921 हैक्टेयर भूमि व प्रार्थी संख्या 02 भैराराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4462/2782 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर 4464/2782 क्षेत्रफल 0.2337 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4466/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4468/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि व प्रार्थी संख्या 03 नारायणराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4461/2782 क्षेत्रफल 0.9712 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4465/2782 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4470/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के



सेढा विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को विप्रार्थीगण का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम चिलानाड़ी पटवार हल्का चिलानाड़ी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 4372/2814 क्षेत्रफल 0.5018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4467/2782 क्षेत्रफल 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4471/2782 क्षेत्रफल 1.3921 हैक्टेयर भूमि व प्रार्थी संख्या 02 भैराराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4462/2782 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर 4464/2782 क्षेत्रफल 0.2337 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4466/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4468/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि व प्रार्थी संख्या 03 नारायणराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4461/2782 क्षेत्रफल 0.9712 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4465/2782 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4470/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

4. हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम चिलानाड़ी पटवार हल्का चिलानाड़ी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 4372/2814 क्षेत्रफल 0.5018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4467/2782 क्षेत्रफल 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4471/2782 क्षेत्रफल 1.3921 हैक्टेयर भूमि व प्रार्थी संख्या 02 भैराराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या 4462/2782 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर 4464/2782 क्षेत्रफल 0.2337 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4466/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4468/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि व प्रार्थी संख्या 03 नारायणराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4461/2782 क्षेत्रफल 0.9712 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4465/2782 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4470/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते हैं। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटारे जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 27.12.2022 में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है, ऐसी स्थिति में राजस्थान भू अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटारा जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं। प्रार्थीगण अधिवक्ता अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चिलानाड़ी पटवार हल्का चिलानाड़ी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 4372/2814 क्षेत्रफल 0.5018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4467/2782 क्षेत्रफल 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4471/2782 क्षेत्रफल

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.3921 हैक्टेयर, खसरा संख्या खसरा संख्या 4462/2782 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर 4464/2782 क्षेत्रफल 0.2337 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4466/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4468/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4461/2782 क्षेत्रफल 0.9712 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4465/2782 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4470/2782 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो, तो पालना रिपोर्ट पेश करे।



आदेश आज दिनांक 10/12/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा
10/12/2024